न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 104/2017 प्रा.पत्र

अनवान

1. देवीलाल पिता डालु बैरवा निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. रामलाल पिता डालु बैरवा निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. चून्नी बेवा डालु बैरवा निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता लक्ष्मीलाल तिवाडी निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
2. सम्पतलाल पिता लक्ष्मीलाल तिवाडी निवासी सहाडा तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. नारायण पिता उदा खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
4. भंवरलाल पिता घीसू माली निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
5. छगनलाल पिता रामलाल माली निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
6. मांगू पिता गुलाब खटीक निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–06.11.2017

:: आदेश ::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम सहाडा तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 5424 रकबा 0.40 हे0, एवं आराजी न0 5425 रकबा 0.50 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हे0 भूमि प्रार्थी के खातेदारी अधिकार की है जिसकी जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 खाता संख्या 432 संलग्न हैं। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने की इस्तदुआ की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर करवाया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया विपक्षी सं0 1 उपस्थित किन्तु विपक्षीगण 2 से 6 बाद तामील अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी सं0 1 को पत्थरगढी में कोई आपति नहीं है। प्रार्थीगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सहाडा तहसील, सहाडा जिला भीलवाडा में आराजी नं0 5424 रकबा 0.40 हे0, एवं आराजी न0 5425 रकबा 0.50 हे0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हे0 भूमि की बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते है। प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 800/– (आठ सौ रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 800/– (आठ सौ रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)